

बिहार सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

राजीव शंकर,
सरकार के संयुक्त सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

सेवा में,

नगर आयुक्त,
नगर निगम, पटना।

पटना, दिनांक-

विषय:- नगर निगम, पटना क्षेत्रान्तर्गत Renovation Work of Manikchand Talab in ward No-10 निर्माण कार्य हेतु कुल राशि रु० 1,83,53,382.00 (एक करोड़ तेरासी लाख तिरपन हजार तीन सौ बेरासी रु०) मात्र की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

नगर निगम, पटना क्षेत्रान्तर्गत Renovation Work of Manikchand Talab in ward No-10 निर्माण कार्य हेतु नगर आयुक्त, नगर निगम पटना का पत्रांक-19629 दिनांक-21.12.2024 द्वारा प्राक्कलन उपलब्ध कराया गया। उक्त प्राक्कलन का तकनीकी अनुमोदन की राशि रु० 1,83,53,382.00 (एक करोड़ तेरासी लाख तिरपन हजार तीन सौ बेरासी रु०) मात्र का प्राक्कलन उपलब्ध कराते हुये अग्रेतर कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है।

2. उक्त वर्णित स्थिति तथा नगर आयुक्त, नगर निगम, पटना द्वारा किये गये अनुरोध के आलोक में निम्न तालिका के स्तम्भ-3 में अंकित योजना को स्तम्भ-4 में अंकित राशि रु० 1,83,53,382.00 (एक करोड़ तेरासी लाख तिरपन हजार तीन सौ बेरासी रु०) मात्र के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति निम्नवत् प्रदान की जाती है:-

(राशि लाख में)				
क्र०सं०	नगर निकाय का नाम	योजना का नाम	तकनीकी अनुमोदन की राशि	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि
1	2	3	4	5
1	नगर निगम, पटना	नगर निगम, पटना क्षेत्रान्तर्गत Renovation Work of Manikchand Talab in ward No-10 निर्माण कार्य।	183.53382	183.53382

3. नगर निगम, पटना क्षेत्रान्तर्गत Renovation Work of Manikchand Talab in ward No-10 निर्माण कार्य हेतु योजना की स्वीकृति पर दिनांक-26.03.2025 को सम्पन्न स्थायी वित्त समिति की बैठक की अनुशंसा एवं सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

4. (i) योजना का क्रियान्वयन ई-टेंडरिंग के माध्यम से नगर निगम, पटना द्वारा कराया जाएगा।

(ii) जिला पदाधिकारी, पटना द्वारा समय-समय पर योजना का अनुश्रवण/पर्यवेक्षण/निर्देशन किया जायेगा।

- (iii) जिला पदाधिकारी, पटना/नगर आयुक्त, नगर निगम, पटना यह आश्वस्त हो लेंगे कि इस योजना का दोहरीकरण ना हुआ हो।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

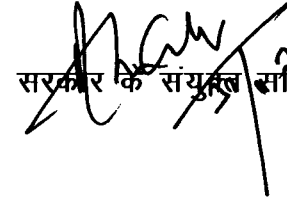
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-04/ना0सु0-8-15/2025

465

/न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक-31/03/25

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, संबंधित प्रमंडल/जिला पदाधिकारी, पटना/नगर आयुक्त, नगर निगम, पटना/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं संबंधित नगर निकाय को ई०-मेल करने हेतु/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा- 02, 06 एवं 04, नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के संयुक्त सचिव।